

NAI DUNIYA, Delhi, 15.6.2017

Page No. 4, Size:(5.01)cms X (10.54)cms.

सरकारी कामकाज में ई–आधार कार्ड पहचान प्रत्र होगा मान्य

रायपुर । नईदुनिया प्रतिनिधि

केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि सरकारी कामकाज में ई आधार कार्ड पहचानपत्र के रूप में मान्य होगा। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने गाइड लाइन जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के डिप्टी डायरेक्टर बीएम पटनायक ने छत्तीसगढ सरकार को भेजे परिपत्र में कहा है कि कई राज्यों से यह शिकायत आ रही है कि विभिन्न विभाग वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई आधार कार्ड को यूनिक पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं जबकि ई आधार कार्ड और प्रिंटेड आधार कार्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही है।